

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-51/2025/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-106-0001-क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन के अन्तर्गत कुल रु० 862.25 लाख (आठ करोड़ बासठ लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-106-खराब सड़कें तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना, उपशीर्ष-0001-क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021060001 में विषय शीर्ष-27 02-अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विभाग	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2025-26)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2025-26)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2025-26)
1.	2.	3	4	5
1	पथ निर्माण विभाग, बिहार	0.00 (शून्य)	862.25 (आठ करोड़ बासठ लाख पच्चीस हजार रुपये)	862.25 (आठ करोड़ बासठ लाख पच्चीस हजार रुपये)

4. उक्त आवंटन से सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1085 दिनांक-09.02.2026 द्वारा की गई अधियाचना तथा विभागीय पत्रांक-6304/आ0प्र0 दिनांक-31.12.2022 द्वारा संसूचित साहाय्य मानदर की कड़िका 11 के आलोक में बाढ़ से क्षतिग्रस्त विभिन्न पथों में पुनर्स्थापन हेतु व्यय किया जाएगा।

5. आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाएगी।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापक 2561वि0 (2), दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।



7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।  
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(संदीप कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-03/बजट-01-51/2025/.....247/आ0प्र0, पटना-23 दिनांक- 20.03.2026

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी